

28/02/24

प्रावला पेश हुई। वादा-प्रातया...  
रीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था,  
प्रमण...  
चाहती दिनांक 01/05/24 को पेश होंगे।

भाज्ञा से



रीठर

एपखण्ड अधिकारी

पलम

01/05/24

पत्रा. पेश हुई। वादी मय आधीवक्ता अनुपास्थित। जिम्मे  
न्यायालय समय पर विधीवत रूप से बार-बार अवजे  
लगवाई गई। उसके उपरान्त भी वादी मय आधीवक्ता  
के गैर-हाजिर रहने से वादी/पार्सी का पार्थना-पत्र  
अन्तर्गत धारा-212 R.T.A. अदम हाजिर व अदम  
पैरवी में खारिज की जाती है।

पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से कम की  
जाकर दायित्व दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सलूम्वर

जिला सलूम्वर